

न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठसीन अधिकारी तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 94/2020 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 25.06.2020
G.C.M.S. NO.-2020/00231

मेन्टर होम लोन्स (इंडिया) लिमिटेड एक निगमित निकाय है। जिसका प्रधान कार्यालय पंजीकृत कार्यालय-मेन्टर हाउस, गोविन्द मार्ग, सेठी कॉलोनी, जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है और जिसकी एक शाखा कार्यालय-जयपुर (राज.) में स्थित व कार्यरत है जरिये प्राधिकृत अधिकारी

-प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री सुरेन्द्र कुमार खटीक पुत्र श्री देव किशन खटीक निवासी प्लॉट नं. 42, ग्राम पंचायत रोल्या, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-श्री देव किशन खटीक पुत्र श्री उदयराम खटीक निवासी प्लॉट नं. 42, ग्राम पंचायत रोल्या, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 3-श्रीमति चान्दी देवी पत्नि श्री देव किशन खटीक निवासी प्लॉट नं. 42, ग्राम पंचायत रोल्या, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 4-श्री सुरेश चन्द्र खटीक पुत्र श्री नारायण लाल निवासी प्लॉट नं. 84, खटीक मौहल्ला, उमण्ड पार्ट नं. 01, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) (नाम तर्क)
- 5-श्री भारद्वाज शिक्षण संस्थान समिति जरिये अध्यक्ष श्री किशोर पुत्र श्री उंकार निवासी प्लॉट नं. 301, ग्राम पंचायत रोल्या, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 6-श्री भारद्वाज शिक्षण संस्थान समिति जरिये कोषाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र कुमार खटीक पुत्र श्री किशन खटीक निवासी प्लॉट नं. 301, ग्राम पंचायत रोल्या, पंचायत समिति, कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1- श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 10.08.2021

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वितीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 5,00,000/- रु. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 एवं 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 एवं 6 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। विपक्षी संख्या 4 (जमानती) का नोटिस विपक्षी की मृत्यु की सूचना के साथ प्राप्त होने से प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या 4 जो कि जमानती है के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहने का कथन करते हुए विपक्षी संख्या 4 का नामतर्क कर मूल ऋणी से ऋण राशि वसूल कराये जाने व बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक विपक्षी संख्या 4 का नामतर्क करने के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वित्तीय संस्था एक निगमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

श्री देव किशन खटीक पुत्र श्री उदयराम खटीक की आवासीय सम्पत्ति जो पट्ट नं. 42, ग्राम पंचायत रोल्हा, पंचायत समिति कपासन, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान पर स्थित है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसकी माप 500 वर्ग गज है। चतुः

पूर्व :- नाथू/कालू कीर का मकान

पश्चिम :- रास्ता

उत्तर :- रास्ता

दक्षिण :- गमना भाब्डी का बाड़ा

उक्त सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 01.07.2019 तक राशि रूपये 7,04,196/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते हैं। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जावे।



23
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने वित्तीय संस्था के पक्ष में रहन रखी है। वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्थोरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्थोरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था में रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

२३

(तारा चन्द मीणा)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़

